संख्या:- 37 /XXIV(1)/न0सृ0अनु0/04 रिट/2019

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग **देहरादून: दिनांक 25 अप्रैल, 2019**

विषय:-रिट याचिका संख्या-25680/2017, एम0 पुरूषोत्तम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-05-2018 का अनुपालन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-अशा0(06)/21790/RTE/2018-19, दिनांक 30 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो कि रिट याचिका संख्या-25680/2017, एम0 पुरूषोत्तम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-05-2018 के अनुपालन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र F.No.: 1-38/2018-Sch.3 दिनांक 29 जून, 2018 के संबन्ध में है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत स्थापित समस्त विद्यालयों को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1- गृह कार्य

(1). कक्षा 1 से कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य न दिया जाये एवं कक्षा 3 से 2 घण्टे प्रति सप्ताह का गृह कार्य दिया जाये।

(2). विद्यार्थियों को अतिरिक्त गृह कार्य न दिया जाए।

2- पाठ्यक्रम एवं विषय

(1). कक्षा 1 से 2 में भाषा एवं गणित तथा कक्षा 3 से 5 में भाषा, गणित एवं पर्यावरण विज्ञान के इतर कोई विषय न पढ़ाया जाये।

(2). विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0 द्वारा लागू एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें ही उपयोग की जाये।

3— स्कूल बैग के भार हेतु नीति

(1). विद्यालय में एक दिन में केवल 2 या 3 विषय एवं दूसरे दिन अन्य 2 या 3 विषय का पठन-पाठन किया जाये।

(2). बैग भार की सीमाएं :-

क्र0 सं0	कक्षा	स्कूल बैग के भार हेतु सीमा
1.	1 से 2	1.5 कि0ग्रा0 तक
2.	3 से 5	2 से 3 कि0ग्रा0 तक
3.	6 से 8	4 कि0ग्रा0 तक
4.	8 से 9	4.5 कि0ग्रा0 तक
5.	10	5 कि0ग्रा0 तक

4— सचल दल

(1). विद्यालयों के निरीक्षण के लिए सचल दल गठित किया जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कक्षा 1 एवं 2 में कोई गृह कार्य न दिया जाय तथा इन दोनों कक्षाओं में भाषा व गणित के अतिरिक्त अन्य कोई विषय न पढ़ाया जाये।

(2). स्कूल बैग का भार उपर्युक्तानुसार निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

(3). जो विद्यालय कक्षा 1 से 2 में गृह कार्य दे रहे हैं या अतिरिक्त विषय पढ़ा रहे हैं, तो उनका पंजीकरण निरस्त किया जाये।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः–उ0रिट(1)/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/04 रिट/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनु सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2018 के कम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

112